न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/34 दायरा दिनांक : 05.03.2021

उनवान

1– रामगोपाल मीना आत्मज अमेदा, जाति मीना, निवासी बासोदिया हाल निवासी 2 एफ 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पानी की टंकी के पास झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

2– नमन पुत्र रामगोपाल मीना, आयु 12 साल नाबालिग जर्ये वलिया एवं संरक्षक माता रूकमणी देवी पत्नी रामगोपाल, जाति मीना, निवासी बासोदिया हाल निवासी 2 एफ 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पानी की टंकी के पास झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

3– ज्योति पुत्री रामगोपाल मीना, आयु 18 साल, जाति मीना, निवासी बासोदिया हाल निवासी 2 एफ 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पानी की टंकी के पास झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

4– एकता पुत्री रामगोपाल मीना, आयु 16 वर्ष नाबालिग जर्ये वली एवं संरक्षक पिता रामगोपाल, जाति मीना, निवासी बासोदिया हाल निवासी 2 एफ 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पानी की टंकी के पास झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

5– काजल पुत्री रामगोपाल मीना, आयु 14 वर्ष नाबालिग जर्ये वली एवं संरक्षक पिता रामगोपाल, जाति मीना, निवासी बासोदिया हाल निवासी 2 एफ 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पानी की टंकी के पास झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– योगेश कुमार आत्मज रामगोपाल मीना, आयु 35 साल, निवासी बासोदिया हाल निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

2– कालूलाल पिता कजोडी लाल, जाति मीना, निवासी बासोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

3– भूरालाल आत्मज कजोडी लाल, जाति मीना, निवासी बासोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

4– मोहनलाल आत्मज कजोडी लाल, जाति मीना, निवासी बासोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

5– हेमराज आत्मज कजोडी लाल, जाति मीना, निवासी बासोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

6– मंजू उर्फ हेमलता पुत्री रामगोपाल पत्नी तेजराज, जाति मीना, निवासी मीणा सदन पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 07.06.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 46/प्रार्थना पत्र/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आर्डर 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बासोदिया पटवार हल्का पचौला, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 237 व पुरानी 11 की विभिन्न खसरा नम्बरान क्रमशः 1001/712 रकबा 2.3795 हेक्टर, खसरा नं. 307 रकबा 0.4694 हेक्टर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.1457 हेक्टर, खसरा नं. 460 रकबा 0.2266 हेक्टर, खसरा नं. 462 रकबा 0.2428 हेक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1.0279 हेक्टर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.2671 हेक्टर, खसरा नम्बर 946/583 रकबा 0.1619 हेक्टर कुल 8 किता की 4.9209 हेक्टर भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते में स्थित है। ग्राम बासोदिया पटवार हल्का पचौला, तहसील अकलेरा के माल में नई खतोनी संख्या 238 व पुरानी 216 की विभिन्न खसरा नम्बरान कमशः 107 की 0.1538 हेक्टर, खसरा नं. 569 रकबा 1.6754 हेक्टर कुल जुम्ला 2 किता की 1.8292 हेक्टर भूमि अप्रार्थी नं. 1 के खाते में स्थित है। ग्राम बासोदिया पटवार हल्का पचौला, तहसील अकलेरा के माल में नई खतोनी संख्या 215 व पुरानी 199 की विभिन्न खसरा नम्बरान कमशः 527 रकबा 1.0441 हेक्टर, खसरा नं. 528 रकबा 1.2464 हेक्टर कुल जुम्ला 2 किता की 2.2905 हेक्टर भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थीगण 7 लगायत 10 की शामलाती खाते की स्थित है जिसमें अप्रार्थी नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। ग्राम बासोदिया पटवार हल्का पचौला, तहसील अकलेरा के माल में नई खतोनी संख्या 239 व पुरानी 239 की खसरा नम्बर 1034/569 की 0.0081 हेक्टर भूमि अप्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थीगण 7 लगायत 10 के शामलाती खाते की स्थित है जिसमें अप्रार्थी नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा ग्राम बासोदिया पटवार हल्का पचौला, तहसील अकलेरा के माल में नई खतोनी संख्या 240 व पुरानी 218 की खसरा नम्बर 580 रकबा 0.4128 हेक्टर भूमि अप्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थीगण 7 लगायत 10 के शामलाती खाते की स्थित है जिसमें अप्रार्थी नं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद अप्रार्थी नं. 1 व 3 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष बची पैतृक आराजी में स्थित प्रार्थी के हिस्से तक का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रहन बेचान द्वारा हस्तान्तरण नहीं करें एवं अप्रार्थी नं. 3 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.10.2020 के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खुलवावे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना कप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर विवादग्रस्त आराजी के पैतृक सम्पत्ति साबित नहीं होने के उपरान्त भी अपीलार्थी कम 1 व 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बगैर निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी कम 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र की विशेष कथन के पैरा नं. 4 में वादग्रस्त आराजीयात के उसके द्वारा खरीद किये जाने सम्बन्धी तथ्य मय दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको नजर अन्दाज किये जाने के कारण आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलार्थी कम 1 की स्वर्जित खातेदारी की भूमियां है जिसमें प्रत्यर्थी कम 1 को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों के दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी योगेश कुमार रेस्पोडेंट ने धारा 212 में एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दिनांक 28.12.2020 में निर्णय पारित किया। आराजी हमारे द्वारा कय शुदा है। आराजी पैतृक नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। जाति से मीना होने के कारण हम पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट रामगोपाल पिता है और योगेश कुमार रामगोपाल की पहली पत्नी का पुत्र है। अपीलांट रामगोपाल के द्वारा पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया, जिससे उसके अपीलांट सं. 2 नमन पुत्र है एवं रेस्पोडेंट नं. 3 ज्योति, रेस्पोडेंट नं. 4 एकता एवं रेस्पोडेंट नं. 5 काजल पुत्रियां हैं, अपीलांट रामगोपाल ने अपनी पहली पत्नी एवं उसके पुत्र रेस्पोडेंट नं. 1 योगेश कुमार का अकारण ही बहिष्कार कर रखा है। इसलिए रेस्पोडेंट कम 1 योगेश कुमार ने मजबूर होकर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 28.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी पक्षकारों की पुश्तैनी आराजी मानते हुए अपीलांट रामगोपाल के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पारित की कि वह अपनी शेष बची आराजी में रेस्पोडेंट योगेश कुमार के हिस्से तक अन्य व्यक्ति के पक्ष में रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण नहीं करें एवं अपीलांट रामगोपाल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2020 के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खुलवाये।

रेस्पोडेंट कम 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी ग्राम बासोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड संवत 1 जुलाई 66 से 30 जून 66 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की थी तथा अपीलांट के द्वारा जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा की विशेष आपत्तियों की मद नं. 3 में दिनांक 01.08.1981 को रजिस्टर्ड बैयनामा आमेदा पुत्र कंवरलाल से खरीद की है। उपरोक्त दस्तावेजात के अनुसार उपरोक्त सम्पत्ति अपीलांट रामगोपाल एवं उसके पहली पत्नी से पुत्र रेस्पोडेंट कम 1 योगेश कुमार की पुश्तैनी सम्पत्ति प्रमाणित है।

प्रार्थना पत्र 212 में हक एवं अधिकारों का निर्णय नहीं होता है बल्कि तनकीयात कायम करके पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के उपरान्त बहस सुनकर निर्णय पारित होता है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए न्यायालय का आदेश 28.12.2020 उचित एवं विधिवत है। इसमें किसी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट्स सव्यय सहित निरस्त करवाये जान की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1981 पेज 512, आर. आर.डी. 1987 पेज 71, आर.आर.डी. 1989 पेज 284, आर.आर.डी. 14.09.2017 पेज 588 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। खसरा नं. 307 रकबा 0.4694 हैक्टर, खसरा नं. 527 रकबा 1.0441 हैक्टर बाला/भूरा से कय, खसरा नं. 107 रकबा 0.1538, 569 रकबा 1.6754 व 1034/569 रकबा 0.0081 हेक्टर अपने पिता से कय तथा खसरा नं. 580 रकबा 0.4128 हैक्टर भंवरिया/भैरू मीना से कय करना प्रमाणित है जिससे यह प्रकट होता है कि आराजी अपीलार्थी अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा कय करने से स्वअर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पैतृक होने के आधार पर किया गया जिसमें स्वयं का जन्म से अधिकार होने का कथन किया गया तथा इसी आधार पर अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा खसरा नं. 307 रकबा 0.4694 हैक्टर, खसरा नं. 527 रकबा 1.0441 हैक्टर बाला/भूरा से कय, खसरा नं. 107 रकबा 0.1538, 569 रकबा 1.6754 व 1034/569 रकबा 0.0081 हेक्टर अपने पिता से कय तथा खसरा नं. 580 रकबा 0.4128 हैक्टर भंवरिया/भैरू मीना से कय करना स्वअर्जित सिद्ध करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनको जांच का विषय मानकर प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। हमारी राय में अप्रार्थी कम 1 द्वारा विवादित आराजी के कतिपय खसरा नम्बरान को स्वअर्जित सिद्ध करने पर संशय का कोई आधार नही रहता। रजिस्टर्ड सेल डीड की जांच का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को।

उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पैतृक होने के आधार पर अनुतोष चाहा गया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतिपय खसरा नम्बरान स्वअर्जित प्रमाणित होने पर भी सम्पूर्ण खसरों पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी जो अत्यन्त त्रुटिपुर्ण है। प्रार्थना पत्र के निर्णय में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति की विवेचना किये बिना निर्णय पारित करना भी त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त प्रकरण में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध तथ्यों एवं विधि से परे जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज करना हम उचित समझते है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2020 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा